उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1972)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों को बेदखली अधिनियम, 1972)

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1972]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 28, 1976

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15, 2008

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15, 2014

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, भारत का संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 28 अप्रैल, 1972 को अनुमति दी एवं उ0प्र0 गजट असाधारण दिनांक 1 मई, 1972 को प्रकाशित हुआ।]

सार्वजनिक भू–गृहादि से अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली करने और कतिपय आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषाएं

2–जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में,–

(क) ''निगमित प्राधिकरण'' का तात्पर्य इस धारा के खण्ड (ङ) में अभिदिष्ट किसी कम्पनी, स्थानीय प्राधिकरण, निगम या सोसाइटी से है ;

[1][(कक) भौमिक अधिकार से सम्बन्धित विधि का तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956, जौनासार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 कुमायुं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960 उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 से है;

(ख) ''भू–गृहादि'' का तात्पर्य किसी भूमि (जिसके अन्तर्गत कोई वन भूमि या उस पर लगे हुए वृक्ष, अथवा अलाच्छादित भूमि, या राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित कोई सड़क या ऐसी सड़क से संलग्न भूमि भी है), या किसी भवन या किसी भवन के भाग से है, और इसके अन्तर्गत,–

(1) ऐसे भवन या भवन के भाग के अनुलग्न उद्यान, मैदान तथा वाह्रगृह यदि कोई हो, भी हैं, और

(2) ऐसे भवन या भवन के भाग में और अधिक लाभकारी उपयोग के लिए लगाये गये कोई फिटिंग्स या फिक्सचर्स या उसके लिए दिया गया कोई फर्नीचर भी है :

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि नहीं है जो भौमिक अधिकारों से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन किसी खातेदार द्वारा तत्समय धृत हो।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1976 की धारा 25 (1) द्वारा प्रतिस्थापित तथा सदैव से प्रतिस्थापित समझा जायेगा।

(ग) ''विहित'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ;

(घ) ''विहित प्राधिकारी'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है ;

1[(ङ) ''सार्वजनिक भू–गृहादि'' का तात्पर्य किसी ऐसे भू–गृहादि से है जो, राज्य सरकार का हो या उनके द्वारा अथवा उनकी ओर से पट्टे पर लिया गया या अधिगृहीत किया गया हो, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा भू–गृहादि भी है जो निम्नलिखित का हो या उनके द्वारा या उनकी ओर से पट्टे पर लिया गया हो–

(1) कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई ऐसी कम्पनी जिसमें राज्य सरकार की कम से कम इक्यावन प्रतिशत दत्त अंश पूंजी हो; या

(2) कोई स्थानीय प्राधिकरण ; या

(3) राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में कोई ऐसा निगम (जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित कम्पनी या कोई स्थानीय प्राधिकरण न हो) ; या **1 का 1956**

(4) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी, जिसके शासी निकाय में, सोसाइटी के नियमों या विनियमों के अधीन, पूर्णतः लोक अधिकारी, या राज्य सरकार के नामांकिती, अथवा दोनों हों और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं ;

(i) नजूल भूमि या कोई ऐसा भू–गृहादि जिसका प्रबन्ध किसी स्थानीय प्राधिकरण को सौंपा गया हो (जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा भवन भी है जिसका निर्माण उस स्थानीय प्राधिकरण को भूमि सौंपे जाने के पश्चात् राज्य सरकार की भूमि पर सरकारी निधि से किया गया है, जो भॉमिक अधिकार सम्बन्धी किसी विधि के अधीन गांव सभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित या उसके प्रबन्धार्थ सौंपी गयी नहीं है) ;

(ii) कोई भू–गृहादि जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन राज्य सरकार की सहमति से किसी कम्पनी के लिये (जैसा उक्त अधिनियम में परिभाषित है) अर्जित किया गया हो और उस कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 41 के अधीन निष्पादित ऐसे करार के अधीन धृत हो जिसमें कतिपय दशाओं में राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रवेश करने की व्यवस्था हो ;

2[(5) या वक्फ की किसी स्थावर सम्पत्ति]

3[किन्तु इनमें ऐसे भू–गृहादि सम्मिलित नहीं है जो राज्य सम्पत्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है और जो निम्नलिखित द्वारा अध्यासित है] ;–

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 28, 1976 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित एवं सदैव से प्रतिस्थापित समझा जायेगा।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15, 2014 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15, 2008 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया और सदैव से बढ़ाये गये समझे जाएंगे।

(क) उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मंत्री तथा मंत्री का दर्जा प्राप्त कोई व्यक्ति ;

(ख) कोई संसद सदस्य, उत्तर प्रदेश के विधान सभा या विधान परिषद् का कोई सदस्य ;

(ग) कोई गैर–सरकारी संगठन, चाहे निगमित या पंजीकृत हो या नहीं हो ;

(घ) राजनैतिक दल, जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त न हो ;

(ङ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत कोई सोसाइटी, भारतीय न्यास अधिनियम, 1888 के अधीन पंजीकृत कोई न्यास या व्यवसाय संघ, अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई व्यवसाय संघ या कोई कर्मचारी संघ या व्यक्तियों का कोई निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं हो ;

(च) किसी राजनैतिक दल की कोई इकाई या अग्रणी या अन्य संगठन, चाहे मान्यता प्राप्त हो या नहीं हो ;

(छ) कोई व्यक्ति जो सरकारी सेवक न हो, या किसी सोसाइटी, न्यास या व्यक्तियों के किसी निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं हो, का कोई पदधारक या प्रतिनिधि होने के कारण जिसे सार्वजनिक भू–गृहादि आवंटित किया गया हो।][1]

(च) किसी सार्वजनिक भू–गृहादि के सम्बन्ध में, ''किराया'' का तात्पर्य उक्त भू–गृहादि के प्राधिकृत अध्यासन के लिए निश्चित अन्तरालों में देय प्रतिफल से है, और इसके अन्तर्गत –

(1) भू–गृहादि में अध्यासन करने के सम्बन्ध में, बिजली, पानी या किसी अन्य सेवा के लिए अथवा किसी सम्भारित वस्तु के लिए कोई परिव्यय;

(2) भू–गृहादि के सम्बन्ध में देय कोई दर (चाहे उसका कुछ भी नाम हो); भी है, यदि ऐसा परिव्यय या कर राज्य सरकार अथवा निगमित प्राधिकरण द्वारा देय हो ; [2] [और किसी निगमित प्राधिकरण द्वारा किसी सार्वजनिक भू–गृहादि को पट्टे पर देने की दशा में ऐसे प्राधिकरण को देय प्रिमियम और ब्याज भी हैं ;]

(छ) किसी सार्वजनिक भू–गृहादि के सम्बन्ध में, ''अप्राधिकृत अध्यासन'' का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे सार्वजनिक भू–गृहादि का अध्यासन के प्राधिकार के बिना अध्यासन करने से है, और इसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक भू–गृहादि पर उस प्राधिकार के (जो चाहे अनुदान के तौर पर हो अथवा अन्तरण की किसी अन्य पद्धति से हो) जिसके अधीन अथवा उस हैसियत के जिसमें उसे भू–गृहादि पर अध्यासन करने की अनुज्ञा दी गई थी, समाप्त हो गया हो अथवा किसी कारण से समाप्त कर दी गई हो, के पश्चात् अध्यासन बनाये रखना भी है, और इसके अन्तर्गत धारा 7 की उप–धारा (1) में उल्लिखित परिस्थितियों में अध्यासन बनाये रखना भी है, और किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इस कारण से कि उसने किराये के रूप में किसी धनराशि का भुगतान कर दिया है, यह नहीं समझा जायगा कि उसका अध्यासन प्राधिकृत है।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15, 2014 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 28, 1976 की धारा 25 (3) द्वारा बढ़ाया गया।

विहित प्राधिकारियों की नियुक्ति

3–राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा –

(क) ऐसे व्यक्तियों को जो राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी हों अथवा निगमित प्राधिकरण के तत्समान श्रेणी के अधिकारी हों, जिन्हें वह उचित समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विहित प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी ; और

(ख) ऐसी स्थानीय सीमायें अथवा सार्वजनिक भू–गृहादि की श्रेणियां निर्धारित कर सकती है जिनके भीतर अथवा जिनके सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन विहित प्राधिकारियों की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, और उन पर आरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेंगे।

बेदखली के आदेश के विरुद्ध कारण बताने का नोटिस जारी करना

4–(1) यदि विहित प्राधिकारी की स्वयं अथवा राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण की ओर से प्राप्त आवेदन–पत्र या प्रतिवेदन पर, यह राय हो कि किन्हीं व्यक्तियों का किन्हीं सार्वजनिक भू–गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासन है, और उन्हें बेदखल किया जाना चाहिये, तो विहित प्राधिकारी एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से एक लिखित नोटिस जारी करेगा जिसमें ऐसे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से यह कारण बताने को कहा जायगा कि बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाय।

(2) नोटिस में –

(क) वे आधार बताये जायेंगे जिन पर बेदखली का आदेश देने का प्रस्ताव हो; और

(ख) सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से अर्थात्, उन सभी व्यक्तियों से जो सार्वजनिक भू–गृहादि का अध्यासन कर रहे हैं या कर रहे हों, अथवा जो उनमें हित का दावा करें, प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व, जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, और जो उसके जारी किये जाने के दिनांक से दस दिन से पूर्व का न हो, कारण बताने की, यदि कोई हो, अपेक्षा की जायगी।

(3) विहित प्राधिकारी उस नोटिस को उन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों पर व्यक्तिगत रूप में अथवा सार्वजनिक भू–गृहादि के बाहरी दरवाजे या उसके किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर लगा कर और किसी अन्य रीति से जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में उल्लिखित है तामील करायेगा।

(4) यदि विहित प्राधिकारी यह जानता हो अथवा उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि किन्हीं व्यक्तियों का सार्वजनिक भू–गृहादि पर अध्यासन है, तो उपधारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह नोटिस की एक प्रति प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर रजिस्ट्री डाक द्वारा या उस व्यक्ति को प्रदान करके अथवा प्रस्तुत करके या ऐसी अन्य रीति से, जो विहित की जाय, तामील करायेगा।

अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली

5–(1) यदि धारा 4 के अधीन नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा बताये गये कारण पर, यदि कोई हो, और किसी ऐसे साक्ष्य पर, जिसे वह उसके समर्थन में प्रस्तुत करे, विचार करने के पश्चात् तथा उसे सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, विहित प्राधिकारी का वह समधान हो जाय कि सार्वजनिक भू–गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासन है, तो विहित प्राधिकारी बेदखली का आदेश दे सकेगा जिसमें उसके कारण अभिलिखित किये जायेंगे और यह निदेश होगा कि उन सार्वजनिक भू–गृहादि को उन सभी व्यक्तियों द्वारा, जिनका उस पर या उसके किसी भाग पर अध्यासन हो, ऐसे दिनांक को, जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाय, खाली कर दिया जायगा, और उस आदेश की एक प्रति उस सार्वजनिक भू–गृहादि के बाहरी दरवाजे या उसके किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर लगवायेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति बेदखली के आदेश का, उप–धारा (1) के अधीन उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन के भीतर, अनुपालन करने से इन्कार करे या अनुपालन न करें, तो विहित प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उक्त व्यक्ति को उस सार्वजनिक भू–गृहादि से बेदखल कर सकेगा और उन पर कब्जा ले सकेगा, और उस प्रयोजन के लिए इतने बल का प्रयोग कर सकेगा जितना आवश्यक हो।

सार्वजनिक भू–गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासियों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति का निस्तारण

6–(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 5 के अधीन किन्हीं सार्वजनिक भू–गृहादि से बेदखल कर दिया गया हो, तो विहित प्राधिकारी उन व्यक्तियों को, जिनके कब्जे से सार्वजनिक भू–गृहादि को लिया गया हो, कम से कम चौदह दिन का नोटिस देने के पश्चात् और उस नोटिस को कम से कम एक ऐसे समाचार–पत्र में जिसका उस परिक्षेत्र में परिचालन हो, प्रकाशित करने के पश्चात् उन भू–गृहादि पर रह गई किसी सम्पत्ति को, जिसके अन्तर्गत गिराये गये किसी भवन का मलवा अथवा एकत्रित न की गई कोई फसल या फलों के वृक्ष भी हैं, हटा सकेगा या हटवा सकेगा अथवा सार्वजनिक नीलाम द्वारा उसका निस्तारण कर सकेगा।

(2) यदि कोई सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन बेची जाय, तो उसके विक्रय–आगम का, उसमें से विक्रय व्यय और राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण को बकाया किराया, क्षतिपूर्ति या व्यय के मद्दे देय धनराशि, यदि कोई हो, काटने के पश्चात् भुगतान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जायगा जो विहित प्राधिकारी को उसे पाने के हकदार प्रतीत हों :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि विहित प्राधिकारी यह विनिश्चय करने में असमर्थ हो कि किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को शेष धनराशि देय है अथवा उसका किस प्रकार अभिभाजन किया जाय, तो वह ऐसे विवाद को सक्षम अधिकारिता मुक्त सिविल न्यायालय को अभिदिष्ट कर सकेगा और उस पर उस न्यायालय का विनिश्चय अन्तिम होगा।

सार्वजनिक भू–गृहादि के संबंध में किराया या क्षतिपूर्ति का भुगतान कराने का अधिकार

7–(1) यदि किसी व्यक्ति पर किन्हीं सार्वजनिक भू–गृहादि के सम्बन्ध में देय किराया 4 माह का बकाया हो, तो विहित प्राधिकारी आदेश द्वारा, उस व्यक्ति से ऐसे समय के भीतर और ऐसी किस्तों में, जो आदेश में निर्दिष्ट की जायं, बकाये का भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा, और उस व्यक्ति द्वारा उसका अथवा उसकी किसी किस्त का भुगतान न करने पर यह समझा जायगा कि सार्वजनिक भू–गृहादि पर उसका अप्राधिकृत अध्यासन है।

(2) यदि किसी व्यक्ति का किन्हीं सार्वजनिक भू–गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासन है अथवा किसी समय रहा हो, तो विहित प्राधिकारी क्षतिपूर्ति निर्धारण करने के उन सिद्धान्तों को ध्यान रखते हुए, जो विहित किये जायं, ऐसे भू–गृहादि के प्रयोग तथा अध्यासन के लेखे क्षति की धनराशि का निर्धारण कर सकेगा और, आदेश द्वारा, उस व्यक्ति से ऐसे समय के भीतर और ऐसी किस्तों में, जो आदेश में निर्दिष्ट की जायं, उस धनराशि के भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि उस व्यक्ति को ऐसी लिखित नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् जिसमें उनसे ऐसे समय के भीतर, जो नाटिस में निर्दिष्ट किया जाय, यह कारण बताने को न कहा गया हो कि ऐसा आदेश क्यों न दिया जाय, और जब तक कि उसकी आपत्तियों पर, यदि कोई हों, और किसी साक्ष्य पर, जिसे वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, विहित प्राधिकारी द्वारा विचार न कर लिया जाय।

विहित प्राधिकारी के अधिकार

8–निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने या किसी अपील की सुनवाई करने के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी तथा अपील अधिकारी को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वे शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्–

(क) किसी व्यक्ति की समन करना और उसे हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेज का प्रकटीकरण और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

अपील

9–(1) धारा 5 या धारा 7 के अधीन किन्हीं सार्वजनिक भू–गृहादि के सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश की अपील, अपील अधिकारी को होगी, जो उस जिले का जिसमें सार्वजनिक भू–गृहादि स्थित हों जिला न्यायाधीश अथवा ऐसा न्यायिक अधिकारी होगा, जो सिविल न्यायाधीश के पद से कम न हो, जिसे जिला न्यायाधीश तदर्थ पदाभिहित करे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील –

(क) धारा 5 के अधीन किसी आदेश से अपील की दशा में, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन उस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, और

(ख) धारा 7 के अधीन किसी आदेश से अपील की दशा में, उस दिनांक से जब अपीलार्थी को आदेश संसूचित किया जाय, पन्द्रह दिन के भीतर की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अपील अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से नियत समय के भीतर अपील निवेशित नहीं कर सका तो वह अपील को पन्द्रह दिन की उक्त कालावधि के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा।

(3) यदि विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से अपील की जाती है तो अपील अधिकारी उस आदेश का प्रवर्तन ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, रोक सकेगा।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, अपील अधिकारी द्वारा यथाशक्य शीघ्र निपटाई जायेंगी।

(5) इस धारा के अधीन किसी अपील के खर्चे अपील अधिकारी के विवेकाधीन होंगे।

(6) जिला न्यायाधीश उपधारा (1) के अभिदिष्ट किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष विचाराधीन किसी अपील को वापस ले सकता है और या तो उसका निस्तारण स्वयं कर सकता है या उसका अन्तरण उक्त उपधारा में अभिदिष्ट किसी अन्य न्यायिक अधिकारी को कर सकता है।

आदेशों की अन्तिमता

10–इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित व्यवस्था को छोड़ कर, इस अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी या अपील अधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी मूल वाद, आवेदन–पत्र या निष्पादन कार्यवाही में आपत्ति नहीं की जा सकेगी और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई भी व्यादेश नहीं दिया जायेगा।

अपराध तथा शास्ति

11–(1) यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं सार्वजनिक भू–गृहादि से बेदखल किया गया हो, उन भू–गृहादि पर फिर से अध्यासन, ऐसे अध्यासन के लिए बिना किसी प्राधिकार के, कर ले, तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई मजिस्ट्रेट जो उप–धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराये उस व्यक्ति को सरसरी तौर से बेदखल करने का आदेश दे सकेगा और किसी अन्य कार्यवाही पर, जो उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह व्यक्ति इस प्रकार बेदखल किये जाने का भागी होगा।

सूचना प्राप्त करने का अधिकार

12–यदि विहित प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किन्हीं व्यक्तियों को किन्हीं सार्वजनिक भू–गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासन है, तो विहित प्राधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उन व्यक्तियों या किसी अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि उन व्यक्तियों के, जिनका उक्त सार्वजनिक भू–गृहादि पर अध्यासन हो, नामों तथा अन्य व्योरों के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत करें और प्रत्येक व्यक्ति, जिससे ऐसी अपेक्षा की गयी हो, ऐसी सूचना जो उसके पास हो, देने के लिये बाध्य होगा।

दायादों तथा विधिक प्रतिनिधियों के दायित्व

13–(1) यदि किसी व्यक्ति की, जिसके विरुद्ध बकाया किराये के अवधारण के लिये अथवा क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिये कोई कार्यवाही की जानी हो अथवा की गयी हो, उस कार्यवाही के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाय, तो कार्यवाही उस व्यक्ति के वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध की जा सकेगी, या यथास्थिति, जारी रखी जा सकेगी।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण को देय धनराशि, चाहे वह बकाया किराये क्षतिपूर्ति अथवा व्यय के रूप में हो, का भुगतान, उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्, उसके वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा किया जायगा, किन्तु उनका दायित्व मृतक की परिसम्पत्तियों, जो उनको प्राप्त हुई हों और जिनका यथाविधि निस्तारण न किया गया हो, के परिमाण तक ही सीमित होगा।

मलगुजारी की बकाया के रूप में किराये आदि की वसूली

14–यदि कोई व्यक्ति, धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन देय बकाया किराये या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन देय क्षति की धनराशि अथवा धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण को दिलाये गये खर्चे अथवा ऐसे किराये, क्षति की धनराशि या खर्चे के किसी भाग का, उससे सम्बन्धित आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर, यदि कोई हो, भुगतान करने से इन्कार करे या भुगतान न करे तो विहित प्राधिकारी कलेक्टर को देय धनराशि के बारे में एक प्रमाण–पत्र जारी कर सकेगा, जो मालगुजारी की बकाया के रूप में उसकी वसूली के लिए कार्यवाही करेगा।

अधिकारिता का वर्जन

15–किसी ऐसे व्यक्ति की बेदखली के सम्बन्ध में, जिसका किन्हीं सार्वजनिक भू–गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासन है, या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन देय बकाया किराये अथवा उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन देय क्षतिपूर्ति या धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन राज्य सरकार अथवा निगमित प्राधिकरण को दिलाये गये व्यय या ऐसे किराये, क्षतिपूर्ति अथवा व्यय के किसी भाग की वसूली के सम्बन्ध में किसी वाद या कार्यवाही की ग्रहण करने की अधिकारिता किसी न्यायालय को नहीं होगी।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

16–राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण या अपील अधिकारी या विहित प्राधिकारी के विरुद्ध ऐसी किसी भी बात के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से की गयी हो या की जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

17–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक कार्यवाही में, यथास्थिति, राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण एक पक्ष होगा।

सरकार या निगमित प्राधिकरण एक पक्ष होगा

(2) विशेषतया, और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण को साक्ष्य प्रस्तुत करने और साक्षियों का प्रतिपरीक्षण करने, और विहित प्राधिकारी के ऐसे आदेश के विरुद्ध, जिसमें धारा 5 के अधीन बेदखली का आदेश देने से इन्कार किया गया हो या जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा किराया अथवा क्षति की धनराशि के भुगतान कराये जाने के लिये धारा 7 के अधीन इनकार किया गया हो, धारा 9 के अधीन अपील करने, का अधिकार होगा।

18–(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

(2) विशेषतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकेगी, अर्थात् –

(क) इस अधिनियम के अधीन दिये जाने के लिये अपेक्षित या प्राधिकृत किसी नोटिस का प्रपत्र और वह रीति जिसमें उसकी तामील की जा सकेगी ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन जांच करना ;

(ग) विहित प्राधिकारियों में कार्य का वितरण और आवंटन और एक विहित प्राधिकारी के समक्ष लम्बित किसी कार्यवाही का दूसरे विहित प्राधिकारी को अंतरण;

(घ) सार्वजनिक भू–गृहादि पर कब्जा लेने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ङ) वह रीति जिसमें अप्राधिकृत अध्यासन के लिए क्षति की धनराशि निर्धारित की जा सकेगी और वे सिद्धान्त जिसका ऐसी क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने में ध्यान रखा जायगा ;

(च) वह रीति जिसमें अपीलें की जा सकेंगी और अपीलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(छ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो या जिसे विहित किया जाय।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशाक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, कुल चौदह दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूर्ण हो सकती है, रखे जायेंगे, और यदि, उक्त अवधि में दोनों सदन किसी नियम में कोई परिष्कार करने के लिए सहमत हों अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम केवल ऐसे परिष्कृत रूप में प्रभावी होगा अथवा प्रभावी नहीं रहेगा, जैसी भी दशा हो, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन उक्त नियम के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

19–(1) निम्नलिखित अधिनियमितियां एतद्द्वारा निरस्त की जाती हैं, अर्थात् :–

निरसन तथा पारिणामिक संशोधन

(क) उत्तर प्रदेश सरकारी भू–गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, 1952 ;

(ख) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अधिनियम, 1959 ;

(ग) उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह–व्यवस्था अधिनियम, 1955 की धारायें 9, 19, 21, 23, 24, 24–क, 24–ख, 24–ग, 24–घ, 24–ङ, 24–च, 25 और 27 ;

(घ) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 69, 70, 71–क और 72 ;

(ङ) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 372 की उपधारा (2) ;

(च) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू–गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970 की धारा 33, 34 तथा 35 ;

(2) उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह–व्यवस्था अधिनियम, 1955 में :–

(क) धारा 7 में शब्द ''बेदखली'' के स्थान पर शब्द ''बेदखली करवाने'' रख दिये जायं ;

(ख) धारा 22 में, उपधारा (1) में शब्द तथा अंक ''अथवा धारा 21 की उपधारा (2)'' निकाल दिये जायं ;

(ग) धारा 28 में, उपधारा (2) में, खण्ड (छ) में शब्द तथा अंक ''अथवा धारा 21 की उपधारा (2)'', और खण्ड (झ) निकाल दिये जायं।

(3) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 में,–

(क) धारा 64 में, उपधारा (1) में, खण्ड (घ) में शब्द तथा अंक ''और अध्याय 2'' निकाल दिये जायं ;

(ख) धारा 68 का प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जाय ;

(ग) धारा 96 की उपधारा (4) निकाल दी जाय।

(4) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में, धारा 129–क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :–

महापालिका के भू–गृहादि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1966 के अध्याय 7 का लागू किया जाना

129–क–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अध्याय 7 के उपबन्ध किसी ऐसे भू–गृहादि के सम्बन्ध में जो महापालिका के हों या उसमें निहित हों अथवा महापालिका द्वारा पट्टे पर लिये गये हों, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित 'परिषद् के भू–गृहादि' के सम्बन्ध में लागू होते हों और उसमें परिषद् तथा उक्त अधिनियम के अधीन नियत विषयों के लिये किये गये अभिदेश क्रमशः महापालिका तथा इस अधिनियम के अधीन विहित विषय के लिए किये गये अभिदेश समझे जायेंगे।

(5) यूनाइटेड प्राविन्सेज म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में, धारा 120–ए के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :–

बोर्ड के भू–गृहादि के संबंध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1966 के अध्याय 7 का लागू किया जाना

120–ए–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अध्याय 7 के उपबन्ध किसी ऐसे भू–गृहादि के सम्बन्ध में, जो बोर्ड के हों या उसमें निहित हों अथवा बोर्ड द्वारा पट्टे पर लिये गये हों, इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार के उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित 'परिषद् के भू–गृहादि' के संबंध में लागू होते हों और उसमें परिषद् तथा उक्त अधिनियम के अधीन नियत विषय के लिए किये गये अभिदेश क्रमशः इस ऐक्ट में यथापरिभाषित बोर्ड तथा इस ऐक्ट में नियत विषय के लिए किये गये अभिदेश समझे जायेंगे।

(6) यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट, 1919 में –

(क) धारा 57 में, शब्द, अंक तथा अक्षर ''और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अध्याय 7 जैसा कि वह धारा 95–क के अन्तर्गत ट्रस्ट के भू–गृहादि पर लागू है, धारा 95–ए में अभिदिष्ट कृत्यों का सम्पादन करने के लिए भी,'' निकाल दिये जायं ;

(ख) धारा 95–क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात :–

ट्रस्ट के भू–गृहादि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1966 के अध्याय 7 का लागू किया जाना

''95–क–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अध्याय 7 के उपबन्ध किसी ऐसे भू–गृहादि के सम्बन्ध में जो ट्रस्ट के हों या उसमें निहित हो अथवा ट्रस्ट द्वारा पट्टे पर लिये गये हों, इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित 'परिषद् के भू–गृहादि' के सम्बन्ध में लागू होते हों और उसमें परिषद् तथा उक्त अधिनियम के अधीन नियत विषय के लिए किये गये अभिदेश क्रमशः ट्रस्ट तथा इस ऐक्ट के अधीन नियत विषय के लिए किये गये अभिदेश समझे जायेंगे।**''**

वैधीकरण

20–(1) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, धारा 19 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट किन्हीं भी अधिनियमितताओं के अधीन (जिन्हें आगे इस धारा में निरस्त अधिनियमितियां कहा गया है) किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही (जिसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, दिये गये आदेश, जारी की गयी नोटिसें, आदेशित या निष्पादित बेदखली, निर्धारित क्षति की धनराशि, वसूल किया गया किराया या क्षति की धनराशि या खर्चा और प्रारम्भ की गई कार्यवाहियां भी हैं) अथवा इस आशय से किया गया कार्य या की गई कार्यवाही वैध और प्रभावी समझाी जायगी मानों कि इस अधिनियम की धारा 15 के उपबन्ध आवश्यक परिष्कारों के साथ निरस्त अधिनियमितियों के भाग के रूप में प्रारम्भ में ही अधिनियमित किये गये थे, और तद्नुसार –

(क) किसी निरस्त अधिनियमिति के अधीन वसूल किये गये किसी किराये या क्षति की धनराशि या खर्चे की वापसी के लिए, यदि ऐसी धनराशि को वापस करने के लिए केवल इस आधार पर दावा किया गया हो कि उक्त निरस्त अधिनियमिति असंवैधानिक तथा शून्य घोषित कर दी गयी है, किसी न्यायालय में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही न तो संधारित की जायगी और न जारी रखी जायगी ;

(ख) कोई न्यायालय किसी ऐसी बिक्री या आदेश को, जिसमें किसी निरस्त अधिनियमिति के अधीन वसूल किये गये किराये या क्षति की धनराशि या खर्चे को केवल इस आधार पर वापस करने के लिए आदेश दिया गया हो कि उक्त निरस्त अधिनियमिति असंवैधानिक तथा शून्य घोषित कर दी गयी है, प्रवृत्त न करेगा;

(ग) किन्हीं सार्वजनिक भू–गृहादि से किसी अप्राधिकृत अध्यासी को बेदखल करने के लिए या ऐसे भू–गृहादि का अध्यासन करने के निमित्त किराया अथवा क्षति की धनराशि की वसूली के लिये या उपर्युक्त कार्यवाहियों के खर्च की वसूली के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही या अन्य कार्य को केवल इस आधार पर करने से वर्जित न किया जायेगा कि निरस्त अधिनियमिति के अधीन तत्सदृश्य कार्यवाही या अन्य कार्य असंवैधानिक तथा शून्य घोषित कर दिये गये हैं और उक्त आधार पर किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिये गये हैं।

(2) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी, और धारा 15 या धारा 19 में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी निरस्त अधिनियमिति के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा धारा 15 में

उल्लिखित किसी भी अनुतोष के लिए किसी न्यायालय में संस्थित या आरम्भ की गयी तथा प्रारम्भ की जाने के लिए आशयित और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू–गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970 (जिसे आगे इस धारा में 1970 का अधिनियम कहा गया है) के प्रारम्भ होने पर या तो प्रारम्भिक न्यायालय या किसी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में अथवा ऐसे प्राधिकरण के समक्ष लम्बित वाद या अन्य कार्यवाही का विहित प्राधिकारी को अन्तरण हो जायगा, और तदुपरान्त विहित प्राधिकारी इस अधिनियम के संगत उपबन्ध के अधीन कार्यवाही के रूप में उसका निस्तारण करेगा, और किसी ऐसी कार्यवाही में –

(क) विहित प्राधिकारी उस प्रक्रम से, जहां से उस वाद या कार्यवाही का अन्तरण हो, अग्रेतर कार्यवाही कर सकता है और उक्त प्रयोजन के लिये अन्तरण के पूर्व ऐसे वाद या कार्यवाही में जारी किये गये किसी समन या नोटिस, निवेशित लिखित वक्तव्य या उत्तर अथवा प्रस्तुत साक्ष्य की, इस अधिनियम के संगत उपबन्ध के अधीन अपने द्वारा जारी की गयी नोटिस, या, यथास्थिति, अपने समक्ष बताया गया कारण अथवा प्रस्तुत साक्ष्य मान सकेगा,

(ख) उत्तर प्रदेश सरकारी भू–गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, 1952 की धारा 10 और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि–पूर्ति की वसूली) अधिनियम, 1959 की धारा 7 का 1970 के अधिनियम द्वारा निरसन किये जाने के पूर्व, उक्त धारा 10 के अधीन जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) को अथवा उक्त धारा 7 के अधीन सिविल न्यायाधीश (सिविल जज) के समक्ष अभिदिष्ट कोई आपत्ति स्वयं विहित प्राधिकारी द्वारा निर्णीत की जायगी, और उक्त धाराओं के अधीन कोई अभिदेश, वाद या अपील उपशमित हो जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व कोई ऐसा अभिदेश, वाद या अपील निर्णीत की जा चुकी है तो विहित प्राधिकारी उस निर्णय के अनुसार कार्य करेगा, जो, धारा 9 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अंतिम समझा जायगा।

निरसन तथा अपवाद

21–(1) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उ0 प्र0 अध्यादेश सं0 2, सन् 1972

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई क्रिया इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायेंगी मानों यह अधिनियम 2 मार्च, 1972, को प्रवृत्त हो गया था।